

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक :-

दिनांक :-15.11.2019

संशोधित कार्यालय-आदेश

मैं अखिलेश कल्याण, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर दं० प्र० सं० की धारा 15(2) व (4) एवं 410 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न आदेश पारित करते हुए निम्न आम चुनाव अवकाश के दिन अलवर मुख्यालय/ भिवाडी मुख्यालय/थानागाजी मुख्यालय न्याय क्षेत्र की सीमाओं में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात्, जमानत आवेदन, रिमाण्ड, मृत्यु कालिक कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु एवं रिमाण्ड कार्य एवं सेशन कार्य करने हेतु निम्न न्यायिक अधिकारीगण को अधिकृत करता हूँ।

रिमाण्ड कार्य हेतु Spl. J.M.(N.I.Act Cases)No-1, Alwar	दिनांक 16-11-2019	सेशन कार्य हेतु A.C.J.M.-2, Alwar
--	----------------------	--------------------------------------

निर्देश-

- 1- अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्वर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- 2- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे, जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।
- 3- नियत किए गए दिवस को यदि किस आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तो कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
- 4- अवकाश के दिन यदि सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर है तो वह अपने परिक्षेत्र से सम्बन्धित उक्त कार्य करेंगे।

नोट- उक्त अवकाश के दिवस पर पीठासीन अधिकारी अपने अपने न्यायालय में समय 10:00 ए.एम. से 01.00 पी.एम. तक उपस्थित होकर उक्तानुसार कार्य करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर।

क्रमांक :- 4010
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

दिनांक :- 15-11-19

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अलवर।
3. संबंधित पीठासीन अधिकारी
4. पुलिस कन्ट्रोल रूम, अलवर।
5. कार्यालय प्रति/एस.ओ. कम्प्यूटर शाखा,अलवर (समस्त थानाधिकारी/ पीठासीन अधिकारी को जरिये ई मेल सूचित करें)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर।